POPULATION FOUNDATION OF INDIA

लिंग जांच: कानूनन अपराध है

सचित्र कहानी की पुस्तिका

कहानी के पात्र

स्नेहा

तुलसी, स्नेहा की सहेली

श्याम, तुलसी का पति

श्याम के माता–पिता

प्रीता, स्नेहा की बहन

डॉक्टर

प्रधान जी

पुलिस

परिचय

स्नेहा अभी–अभी मुंबई से घर आई है। पूरा घर उसकी खातिरदारी में लगा हुआ है। प्रीता की बातें तो खत्म नहीं हो रही लेकिन स्नेहा सिर्फ़ अपनी सहेली तुलसी से मिलना चाहती है। उसे तुलसी के साथ बिताया हुआ अपना बचपन याद आ रहा है। तुलसी उसकी सबसे प्यारी दोस्त है। तुलसी उसके लिये बहन जैसी है, एक हमउम्र बहन। उसे तुलसी का वह फोन कॉल याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले उसने किया था। तुलसी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। वह मां बनने वाली है। स्नेहा सोचती है कि आज शाम को तुलसी से मिलने ज़रूर जायेगी।

तुलसी का घर। एक छोटा सा कमरा जिसमें तुलसी बैठी हुई है और वह बहुत उदास है। स्नेहा उससे मिलने आयी है।
क्या हुआ तुलसी? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? फोन पर भी तुम्हारी आवाज़ इतनी उतरी हुई थी?
अरे कुछ नहीं! मैं ठीक हूं बस।
इतनी देर में तुलसी का पति श्याम आ जाता है

ये क्या बतायेगी कि हम किस दुविधा में हैं। पहली बेटी को हुए 18 महीने हो गये। तभी से मां–बाबूजी का कहना है कि हमें पोता चाहिए।

बड़े भईया की भी दो बेटियां ही हैं। उनका कहना है कि खानदान कौन चलायेगा? इस बार मां–बाबूजी बार–बार लिंग जांच करवाने के लिये बोल रहे हैं पर तुलसी की हालत देखकर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं?

ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी! इतना बड़ा अपराध !!! आप तो इतने पढ़े लिखे हैं और आपको तो पता होना चाहिए था कि **लिंग जांच कानून (पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम) के तहत लिंग जांच करवाना एक कानूनन अपराध है।** मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।

तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मां–बाबूजी के ज़िद के आगे बिल्कुल बेबस हूं।
चलिए एक बार और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है चलिए।

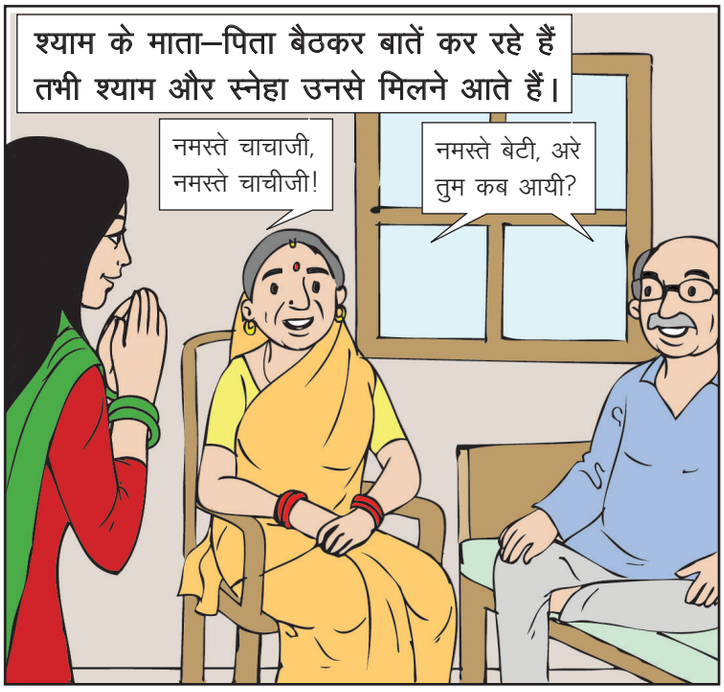

श्याम के माता–पिता बैठकर बातें कर रहे हैं तभी श्याम और स्नेहा उनसे मिलने आते हैं।
नमस्ते चाचाजी, नमस्ते चाचीजी!
नमस्ते बेटी, अरे तुम कब आयी?
मैं थोड़ी ही देर पहले आयी हूं। तुलसी और जीजाजी एक बात से काफी परेशान हैं, अब वह दोनों आपसे बात करने में लिहाज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी दुविधा दूर कर दूं । तुलसी का चेहरा डर के मारे सफेद हो रखा है।
ऐसी क्या बात है बेटी! इतनी बड़ी कौन सी परेशानी है और गर्भावस्था में इतनी चिंता! उसकी सेहत के लिये अच्छा नहीं है।
पता नहीं इस बार वो हमें पोते का सुख दे पायेगी या नहीं? इसीलिए हम श्याम को बार–बार लिंग जांच करवाने के लिये कह रहे हैं।
चाची ये बात तो मैंने जीजाजी को भी समझायी थी और आपसे भी कह रही हूं कि लिंग जांच करवाना एक कानूनन अपराध है।
आपका बेटा हुआ पर क्या वो आपके बिना रह पाता है? आप भी तो एक स्त्री हैं। और श्याम के लिये भी तो आपको बहू चाहिए थी और श्याम को बीवी। क्या इसके बिना यह परिवार बढ़ पाता? नहीं ना।
आपकी भी तो बेटी है। आप उसे कितना प्यार करते हैं, फिर तुलसी के साथ ये अन्याय क्यों? मां, पत्नी और बहू सबको चाहिए पर बेटी और पोती किसी को नहीं?
स्नेहा बिटिया वंश चलाने के लिये पोता तो चाहिए।
अरे चाचाजी वंश चलाना तो राजा महाराजाओं के जमाने में चलता था आजकल तो बेटियां भी परिवार का नाम रोशन करती हैं।
वैसे भी किसी के गर्भ में लड़का है या लड़की इसका जिम्मेदार तो पुरुष है। पुरुष के शुक्राणु ही ये निर्धारित करते हैं कि बेटा होगा या बेटी। क्यों! हैं ना जीजाजी!
हां। बिल्कुल सही कह रही हो।

तुलसी की अच्छी प्रकार देखभाल करिये और बेटा–बेटी में भेद–भाव मत कीजिये। बेटा और बेटी दोनों से खानदान चलता है। बस जरूरत है लड़कियों को सही परवरिश तथा शिक्षा देने की।
हां बाबूजी, आप स्नेहा को ही देख लीजिए। मैं तो यह कहूंगा कि बेटा या बेटी जो भी हो बस स्नेहा की तरह हो।
हां बेटा तुम सही कह रहे हो। पोता और पोती सब एक समान हैं।
अच्छा मैं चलती हूं। नमस्ते चाचाजी, चाचीजी!
बाहर आकर श्याम से
हमें लिंग जांच के इस गैर कानूनी कार्य को रोकना होगा। क्या आप इसमें मदद करेंगे?
हां स्नेहा, मैं बिल्कुल मदद करने के लिये तैयार हूं।
ठीक है तब आज शाम को आप मेरे घर आ जाइयेगा। हम सोचेंगे कि उस डाक्टर को कैसे पकड़वाया जाए और हां अपने मां–बाबूजी के विचार को भी जानने की कोशिश कीजिएगा।
स्नेहा और प्रीता बात कर रही हैं, तभी श्याम आता है
नमस्ते जीजाजी, आईए बैठिए।
नमस्ते प्रीता, धन्यवाद स्नेहा, मेरी एक बहुत बड़ी चिन्ता दूर हो गयी। तुम्हारी बातों से मां–बाबूजी का मन बदल गया है।
यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें उस डाक्टर को पकड़वाना है।
ठीक है इसके लिये मुझे क्या करना होगा?
आप कल सुबह 10 बजे क्लिनिक पर जांच के लिये जाइएगा। मैं भी वहीं रहूंगी। मैंने प्रधान चाचा से भी बात कर ली है। वह पुलिस लेकर ठीक समय पर आ जायेंगे।
ठीक है तो अब मैं चलता हूं। कल सुबह क्लिनिक पर भेंट होगी।
दीदी, यह डाक्टर बहुत निर्दयी है। उसको जरूर सज़ा दिलवाइएगा।

डॉक्टर का क्लिनिक और श्याम और तुलसी जांच के लिये आयें हैं।

लड़की होगी तो आगे का काम तो आपको पता ही है। वैसे घबराईये नहीं!

क्लिनिक

स्नेहा अंदर दाखिल होती है!

आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं?

लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है।

क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? **जन्म से पहले लिंग की जांच करना कानूनन जुर्म है,** कैसे डॉक्टर हैं आप?

तुमसे मतलब, निकल जाओ यहां से, मेरा बिज़नेस खराब मत करो। यह काम मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

तभी पुलिस और प्रधान जी दाखिल होते हैं।

डॉक्टर साहब बहुत पाप कर लिये आपने। अब थोड़ा आराम कर लीजिए जेल में। अब तो हमारे पास आपके खिलाफ़ पक्का सबूत भी हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण करवाना कानूनन जुर्म है। अब चलिए और देखिए आपका यह ग़लत धंधा कैसे बिगड़ता है।

नहीं मुझे माफ कर दीजिए।

चल अब तो तेरी मैं पूरी ख़बर लूंगा। इससे पहले सबूत की कमी से तू बच गया। अब तो नहीं बचेगा।

सर! मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए।

पुलिस डाक्टर को हथकड़ी पहनाते है।

श्याम बाबू, लिंग जांच के बारे में सोचकर भी आपने गलत किया था किन्तु पुलिस की मदद करके आपने अपनी ग़लती का सुधार कर लिया है।

पुलिस, प्रधान जी, स्नेहा, डॉक्टर, और श्याम बाहर निकलते हैं।

6 महीने बाद

सरकारी अस्पताल

तुलसी को बेटी हुई है। मां और बच्चा ठीक हैं, दो साल के अन्दर दूसरा बच्चा होने से बच्ची थोड़ी कमज़ोर है पर डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। पहले 6 महीनें में बच्ची को केवल मां का दूध पिलाना है।

ले मैं फिर से मासी बन गयी। देख कितनी सुन्दर है मेरी गुड़िया।

सही कह रही हो, मां–बाबूजी के दबाव में आकर, न चाहते हुए भी अपनी ही पत्नी को मैंने कितने कष्ट दिये।

मेरी दोनों बेटियां ही अब मेरे लिये सब कुछ हैं। मैं इनका ख़्याल रखूंगा और इनकी मां का भी। और इन्हें मैं आप के जैसा बनाऊंगा।

तुम सही कहती हो स्नेहा, पोता–पोती में बस इतना ही फर्क है... पोती ज़्यादा प्यारी लगती है।

हमारी आंखें खुल गयी हैं और अब हम **बेटा–बेटी में कभी भेदभाव नहीं करेंगे।**

अब मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाऊँगा और काबिल बनाऊँगा।

सरकारी अस्पताल

मुख्य संदेश

- यह पुरुष के शुक्राणुओं पर निर्भर करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। एक महिला का शरीर बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं कर सकता।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग जांच कानून (पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम) के तहत एक गैर कानूनन अपराध है। इसके अंतर्गत दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम पांच वर्ष तक जेल की कड़ी सजा का प्रावधान है।
- भ्रूण की लिंग जांच करने वाले डॉक्टर के साथ–साथ लिंग जांच करवाने वाले परिजन भी बराबर जिम्मेदार होते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते कभी भी भ्रूण की लिंग जांच को बढ़ावा न दें और कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराध को रोकने की कोशिश करें।
- बेटी और बेटा दोनों को भरपूर प्यार और देखभाल की ज़रुरत है। दोनों को घर में बराबर का हक़ मिलना चाहिए।
- माता–पिता और घर के बड़ों को अपनी बेटियों की भरपूर सराहना करनी चाहिये।

लिंग चयन पर लगे विराम,
बेटा और बेटी एक समान!

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

UKaid
from the British people